अध्याय 6

शुल्क का पंजीकरण

सीखने के परिणाम

इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप समर्थ होंगे:

- शुल्क का अर्थ को समझने में
- एक अस्थायी शुल्क और एक निश्चित शुल्क के बीच के अंतर को जानने में
- शुल्क द्वारा पंजीकरण में शामिल चरणों को जानने में
- शुल्क के गैर-पंजीकरण के परिणाम शुल्क की संतुष्टि दर्ज करने के लिए अपनाए जाने वाले चरणों को जानने में
- चूक के मामले में दंड प्रावधानों को जानने में;

© The Institute of Chartered Accountants of India

अध्याय अवलोकन

1. परिचय

कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय VI में शुल्क पंजीकरण से संबंधित कानून को वर्णित किया गया है, जिसमें धारा 77 से 87 के साथ-साथ कंपनी *(शुल्क का पंजीकरण) नियम,* 2014 शामिल है।

शुल्क की परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(16) "शुल्क" को परिभाषित करती है यह ब्याज या ग्रहणाधिकार के रूप में कंपनी की संपत्ति अथवा परिसंपत्ति को किसी भी उपक्रम द्वारा दोनों पक्षों कोज़मानतकरने के लिए सर्जित किया जाता है जिसमे बंधक शामिल हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

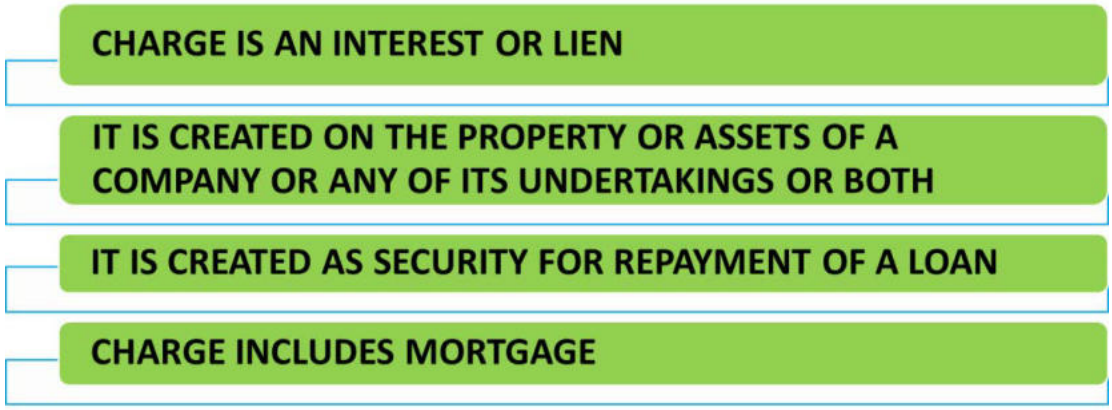

शुल्क ब्याज या कोई धारणा है
यह किसी कंपनी के उपक्रम अथवा दोनों की संपत्ति या परिसंपत्ति पर बनाया जाता है
यह ऋण की चुकौती के लिएज़मानत के रूप में बनाया जाता है
शुल्क में बंधक शामिल होते हैं

जब भी कोई कंपनी वित्तीय संस्थानों या बैंकों या किसी अन्य व्यक्ति से सावधि ऋण या कार्यशील पूंजी ऋण सहित ऋण के माध्यम से धन उधार लेती है, तो अपनी संपत्ति या परिसंपत्ति को सुरक्षा के रूप में पेश करके ऐसी संपत्ति या परिसंपत्ति पर ऋणदाता के पक्ष में एक शुल्क बनाया जाता है। ऐसे शुल्क कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत अध्याय VI और इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य है।

कानूनी सूचना के रूप में कार्य करने के लिए शुल्क का पंजीकरण (धारा 80)

रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत सभी शुल्क सार्वजनिक दस्तावेज उपलब्ध होते हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति जो ऐसी संपत्ति की सुरक्षा के विपरीत कंपनी को पैसा उधार देने की इच्छा रखता है या खरीदना चाहता है, तो एमसीए (MCA) पोर्टल का उल्लेख कर सकता है और पता लगा सकता है कि उसकी परिसंपत्ति पर कोई शुल्क लिया गया है।

यह ध्यान देना जरुरी है कि पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास दर्ज किये गए किसी भी दस्तावेज रचनात्मक सूचना के रूप में कार्य करता है। तो रचनात्मक सूचना का अर्थ है समझा हुआ ज्ञान। इसका अर्थ है कि तीसरे पक्ष ने सार्वजनिक दस्तावेज को संदर्भित नहीं किया है, फिर भी उसे देखा या समझा जाएगा। सार्वजनकि दस्तावेज इसका मतलब यह है कि भले ही तीसरे पक्ष ने सार्वजनिक दस्तावेज़ का उल्लेख नहीं किया है, फिर भी उस पर विचार किया

© The Institute of Chartered Accountants of India

जाएगा या माना जाएगा कि उसने इसे देखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह कानूनी प्रावधान एक कानूनी कल्पना पैदा करता है।

यह सिद्धांत धारा 80 में निहित है जिसमें कहा गया है कि "धारा 77 के अंतर्गत जहाँ कोई शुल्क पंजीकृत है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे संपत्ति, परिसंपत्ति, उपक्रम या उसके अंश और ब्याज को साझा किया जाएगा जैस पंजीकरण तिथि से शुल्क की सूचना दी जाएगी।

इस प्रकार, किसी कंपनी से निपटने का प्रस्ताव करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह सत्यापित करना चाहिए कि लेन-देन में प्रवेश करने से पहले कंपनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में रखे गए शुल्क के रिकॉर्ड के माध्यम से संपत्ति का कोई शुल्क है या नहीं।

यदि वह बिना किसी जाँच के लेन-देन में प्रवेश करता है और बाद में शुल्क के कारण नुकसान होता है, तो वह कंपनी से नुकसान का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि यह माना जाएगा कि उसके पास शुल्क की सूचना थी।

आप इस बात की सराहना करेंगे कि आरोपों का अनिवार्य पंजीकरण भी एक कंपनी को एक ही संपत्ति को सुरक्षा के रूप में एक अलग ऋणदाता से धोखाधड़ी से निधि उधार लेने से रोकने की एक विधि के रूप में कार्य करता है।

उदाहरण 1: विष्णु मार्केटिंग लिमिटेड ने बीटा कमर्शियल बैंक लिमिटेड से पचास एललीडी के एक सावधि ऋण प्राप्त किया, जो कि कार्यालय की इमारतों में से एक पर शुल्क लगाया जाता है और शुल्क को सही प्रकार से पंजीकृत किया गया था। उसके बाद, अगर इमारत नीरज को बेच दी जाती है तो, उसे इस तरह के शुल्क के आरोप का नोटिस माना जाता है। दूसरे शब्दों में, यह माना जाता है कि नीरज पहले से जानता था कि ऋण प्राप्त करने के लिए इमारत को बैंक को गिरवी रखा गया था। वह इस तरह के अनुमान के खिलाफ दलील नहीं दे सकता है कि उसे आरोप के बारे में पता नहीं था अगर उसे बाद की तारीख में बंधक के कारण कोई नुकसान होता है।

शुल्क के प्रकार

एक शुल्क स्थिर या फिर चलायमान हो सकता है।

<u>स्थिर शुल्क:</u>

"स्थिर शुल्क" उधार लेने वाली कंपनी की विशिष्ट संपत्तियों पर लगाए जाना वाला शुल्क है। ये संपत्तियां स्थायी प्रकृति की होती हैं जैसे भूमि और भवन, कार्यालय परिसर, कंपनी द्वारा

© The Institute of Chartered Accountants of India

स्थापित मशीनरी आदि है। इसके अलावा, इन परिसंपत्तियों की पहचान शुल्क के निर्माण के समय की जाती है। एक निश्चित शुल्क आमतौर पर बंधक या स्वामित्व विलेखों के जमा के माध्यम से बनाया जाता है।

जब ऐसी परिसंपत्तियों पर शुल्क लगाया जाता है, तो शुल्क निश्चित रहता है और उधार लेने वाली कंपनी को ऐसी परिसंपत्तियों को बेचने की अनुमति नहीं होती है, हालाँकि, यह उनका उपयोग कर सकती है।

निश्चित शुल्क के अंतर्गत परिसंपत्तियां केवल शुल्क-धारक की अनुमति से बेचीं जा सकती है।

निश्चित शुल्क की परिसंपत्ति के बदले में उधार लिया गया धन चुकाया जाता है तो एक निश्चित शुल्क खाली कर दिया जाता है।

<u>अस्थायी/ चलायमान शुल्क:</u>

'अस्थायी शुल्क' उन परिसंपत्तियों पर बनाया जाता है, जो कच्चे माल के स्टॉक-इन-ट्रेड, देनदार आदि की तरह अस्थिर प्रकृति के होते हैं। अस्थायी शुल्क के अंतर्गत संपत्तियां बदलती रहती हैं क्योंकि उधार लेने वाली कंपनी को बिक्री के लिए अंतिम माल के व्यापार या उत्पादन के लिए उनका उपयोग करने की अनुमति है।

उदाहरण 2: बिक्री के लिए रखे गए एक खुदरा शोरूम में कई लेख शामिल होंगे। शोरूम के मालिक ने उन सभी वस्तुओं की सुरक्षा के बदले उधार लिय हो। लेकिन वह फिर भी व्यापार के सामान्य क्रम में उन्हें बेच सकता है या अन्यथा व्यवहार कर सकता है। खरीदार इसे नि:शुल्क प्राप्त कर सकता है।

उदाहरण 3: किसी कंपनी के मामले, जो चमड़े के सामान का विनिर्माण करती है, चमड़े के रूप में कच्चा माल जो कि अस्थायी शुल्क के अधीन है, का उपयोग ऋणदाता से किसी भी प्रकार की अनुमति के बिना चमड़े का सामान बनाने के लिए किया जाएगा।

इस प्रकार, एक स्थायी शुल्क के विपरीत, कंपनी द्वारा सुरक्षा के रूप में पेश की गई संपत्ति को कंपनी द्वारा व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में निपटाया जा सकता है। परिसंपत्ति के खरीदार को यह नि:शुल्क मिलेगा।

जब लेनदार सुरक्षा को लागू करता है या कंपनी परिसमापन में चली जाती है, तो अस्थिर शुल्क उस तारीख को उपलब्ध सभी परिसंपत्तियों पर एक निश्चित शुल्क बन जाएगा और जो उसके बाद अस्तित्व में आ सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इसे **अस्थायी शुल्क का क्रिस्टलीकरण** कहा जाता है

अस्थायी शुल्क तब तक ही निष्क्रिय रहता है जब तक कि स्थिर या निश्चित रूप में न आ जाए। क्रिस्टलीकरण पर, सुरक्षा (यानी कच्चा माल, स्टॉक-इन-ट्रेड, आदि) तय हो जाता है और प्राप्ति के लिए उपलब्ध होता है ताकि उधार लिया गया धन चुकाया जा सके। अस्थायी शुल्क का क्रिस्टलीकरण तब हो सकता है जब अस्थायी शुल्क के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया जाता है या कंपनी अपने व्यवसाय को जारी रखना बंद कर देती है या कंपनी परिमापन में चली जाती है या लेनदार अस्थायी शुल्क द्वारा कवर की गई सुरक्षा को लागू करते हैं।

2. शुल्क दर्ज कराने के लिए शुल्क आदि [धारा 77]

कंपनियों के अधिनियम, 2013 धारा 77 में कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ शुल्क के पंजीकरण के बारे में प्रावधान है।

A. शुल्क का पंजीकरण

शुल्क बनाने वाली कंपनी द्वारा पंजीकरण: भारत में या उसके बाहर अपनी संपत्ति या परिसंपत्ति तथा उसके किसी उपक्रम पर, चाहे पर मूर्त हो **अन्यथा** भारत में या उसके बाहर स्थित हो, शुल्क के विवरण को पंजीकृत कराना कंपनी का कर्तव्य होता है।

इस प्रकार, भारत के अंदर या इसके बाहर शुल्क दिया जा सकता है। शुल्क का विषय-वस्तु यानी संपत्ति या परिसंपत्ति अथवा कंपनी के कोई भी उपक्रम भारत में या उसके बाहर स्थित हो सकती है।

शुल्क की गई संपत्ति या परिसंपत्ति भूमि और भवन जैसी मूर्त संपत्ति हो सकती है। यह अन्यथा भी हो सकती है, अर्थात यह एक अंश या ऋणपत्र जैसी वित्तीय संपत्ति हो सकती है जिसे गिरवी रखा जा सकता है। यह पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क जैसी अमूर्त संपत्ति भी हो सकती है।

टिप्पणी: अन्यथा शब्द का जब किसी धारा में प्रयोग किया जाता है, तो प्रावधान के दायरे और संचालन को व्यापक बनाने को प्रभावित करता है।

शीर्षक क्रमों की जमा राशि के द्वारा शुल्क लगता जाता है (सामान्यत: बैंक उचित ब्याज शुल्क के बंधक के लिए सहमत होते हैं) उधार लेने वली कंपनी द्वारा पंजीकरण योग्य होता है।[1]

[1] संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 58 (एफ) के अनुसार।

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रभारी धारक द्वारा पंजीकरण: धारा 78 (बाद में बताया गया) प्रदान करता है कि यदि कोई कंपनी शुल्क बनाती है, और वह 30 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर शुल्क दर्ज करने में विफल रहती है, तो जिस व्यक्ति के पक्ष में शुल्क बनाया गया है, वह शुल्क को पंजीकृत करवा सकता है।

क्रेता द्वारा पंजीकरण: धारा 79 (बाद में समझाया गया है) शुल्क पंजीकरण के एक और मामले को शामिल करता है जहाँ एक कंपनी ने कुछ संपत्ति खरीदी थी जिसके मामले में पहले से ही एक शुल्क पंजीकृत था। इस मामले में भी, संपत्ति खरीदने वाली कंपनी का पंजीकरण के रिकॉर्ड में विक्रेता के स्थान पर अपने नाम से पंजीकृत शुल्क मिलेगा।

B. शुल्क कैसे पंजीकृत कराएं[2]

कंपनी द्वारा शुल्क के पंजीकरण प्रयोजन के लिए निर्धारित पत्र[3] में शुल्क की एक साधन की प्रति पत्र के साथ, यदि कोई हो, कंपनी और प्रभारी धारक द्वारा हस्ताक्षरित प्रभारी बनाते हुए, रजिस्ट्रार को निर्धारित शुल्क के साथ 30 दिन के भीतर दायर किया जाएगा।

C. शुल्क के प्रलेखों का सत्यापन[4]

रजिस्ट्रार के साथ दर्ज किए जाने वाले किसी भी आवश्यक शुल्क **के प्रलेखों** की प्रत्येक प्रति इसी प्रकार सत्यापित की जाएगी:

(a) भारत में स्थित संपत्ति से संबंधित प्रलेखों या क्रम, जहाँ साधन या विलेख केवल भारत के बाहर स्थित संपत्ति से संबंधित है, प्रतिलिपि या निर्गमन किए गए प्रमाण पत्र द्वारा सत्यापित किया जाएगा-

- कंपनी की महुर के अंतर्गत, या
- कंपनी के निदेशक या सचिव अथवा प्रभारी धारक के प्राधिकृत अधिकारी के अधीन अंतर्गत, या
- कंपनी के आलावा किसी अन्य किसी अन्य व्यक्ति के अंतर्गत जो गिरवी या शुल्क में इच्छुक हो।

---

[2] कंपनियों की धारा 77(1) और नियम 3(1) के अनुसार 2014 (प्रभार का पंजीकरण) नियम।

[3] नियम 3 के अनुसार प्रत सीएचजी-1 या प्रति सीएचजी(CHG) -9 (ऋणपत्र के मामले में) भरना होता है।

[4] नियम 3 (4) के अनुसार।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) जहाँ लिखत या विलेख भारत में स्थित संपत्ति से संबंधित है (चाहे पूर्ण या आंशिक रूप से), **वहाँ** प्रति का सत्यापन कंपनी के किसी निदेशक या कंपनी सचिव या प्रभारी अधिकारी के अधिकृत अधिकारी के हाथ में जारी प्रमाण पत्र द्वारा किया जाएगा।

इस प्रकार, यदि लिखत या विलेख केवल भारत के बाहर स्थित किसी संपत्ति से संबंधित है, तो प्रति को कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के हाथ से जारी प्रमाण पत्र द्वारा भी सत्यापित किया जा सकता है जो बंधक या शुल्क में रुचि रखता है। इस प्रकार का सत्यापन तब संभव नहीं है जब लिखत या विलेख भारत में स्थित संपत्ति से संबंधित हो, चाहे पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से।

D. <u>समय सीमा का विस्तार</u>

मूल अवधि जिसके अतर्गत शुल्क को पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है, शुल्क के निर्माण की तिथि से 30 दिन है। कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 जोकि 02-11-2018 से प्रभावी है, में निम्न के अनुसार समय सीमा के विस्तार से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा:

(i) *02-11-2018 से पहले सृजित शुल्क (अर्थात कंपनी (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2019 के प्रारंभ होने से पहले):*[5] *ऐसे मामलों में, जहाँ शुल्क 02-11-2018 से पहले सृजित किया गया था, लेकिन 30 दिनों की मूल अवधि के भीतर पंजीकृत नहीं किया गया था , रजिस्ट्रार, कंपनी के एक आवेदन पर, इस तरह के निर्माण के 300 दिनों की अवधि के भीतर इस तरह के पंजीकरण की अनुमति दे सकता* है।

इसके अलावा, यदि शुल्क 300 दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर पंजीकृत नहीं है, तो यह निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर 02-11-2018 से छह महीने के भीतर किया जाएगा। यह प्रदान किया जाता है कि विभिन्न वर्गों की कंपनियों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए जा सकते हैं।

---

[5] *पहले प्रावधान के खंड (b) के अनुसार और धारा 77 (1) के दूसरे प्रावधान के खंड (b) के अनुसार।*

© The Institute of Chartered Accountants of India

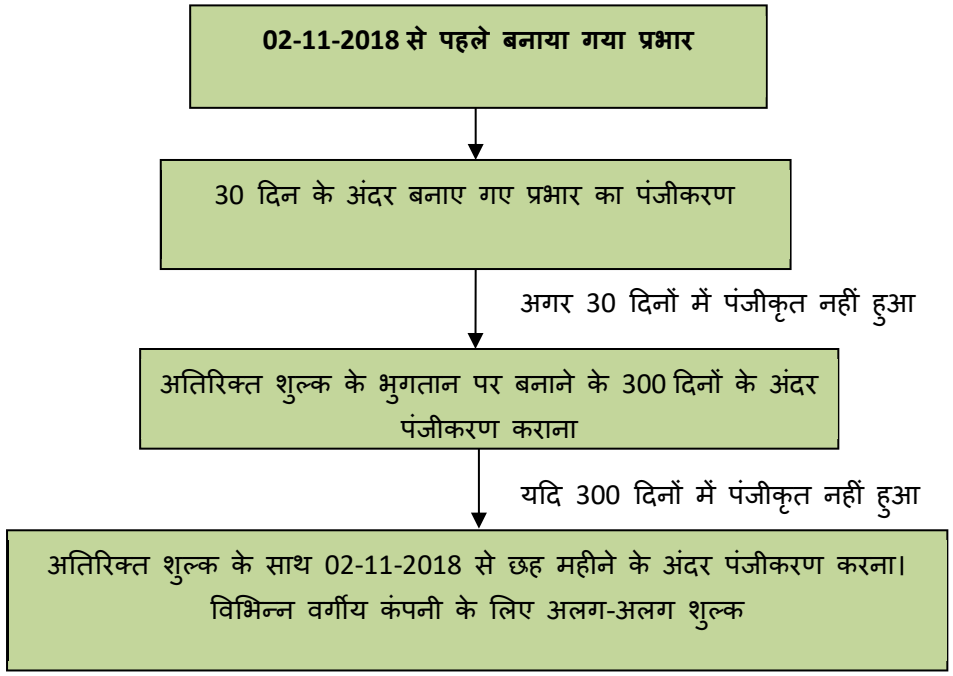

(ii) 02-11-2018 *को या उसके बाद सृजित शुल्क (अर्थात कंपनी (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश,* 2019 *के प्रारंभ होने पर या उसके बाद)*[6]: ऐसे मामले में अर्थात जहाँ शुल्क 02-11-2018 को या उसके बाद बनाया गया था, लेकिन 30 दिनों की अवधि के अंदर शुल्क का पंजीकरण प्रभावित नहीं होगा), रजिस्ट्रार कंपनी द्वारा आवेदन पर, ऐसे पंजीकरण को लाने की अनुमति दी जा सकती है, निर्माण के निर्धारित शुल्क के अतरिक्त शुल्क के भुगतान पर 60 दिनों की अवधि (अर्थात मूल 30 दिनों की समाप्ति के बाद एक और 30 दिन तक प्रदान की जाती है)।

यदि पंजीकरण उपरोक्त के अनुसार विस्तारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो कंपनी एक आवेदन करेगी और रजिस्ट्रार को यह अधिकार दिया जाएगा कि वे विर्धारित अग्रिम शुल्क के भुगतान[7] के बाद पंजीकरण के साठ दिनों के अंदर करने की अनुमति दी जा सकती है।

[6] पहले प्रावधान के खंड (b) के अनुसार और धारा 77 (1) के दूसरे प्रावधान के खंड (b) के अनुसार।

[7] यथामूल्य का अर्थ संबंधित लेनदेन के अनुमानित मूल्य के अनुपात में है। इस मामले में यह प्रभार के मूल्य पर आधारित होगा अर्थात संपत्ति की जमानत पर अग्रिम ऋण की राशि।

© The Institute of Chartered Accountants of India

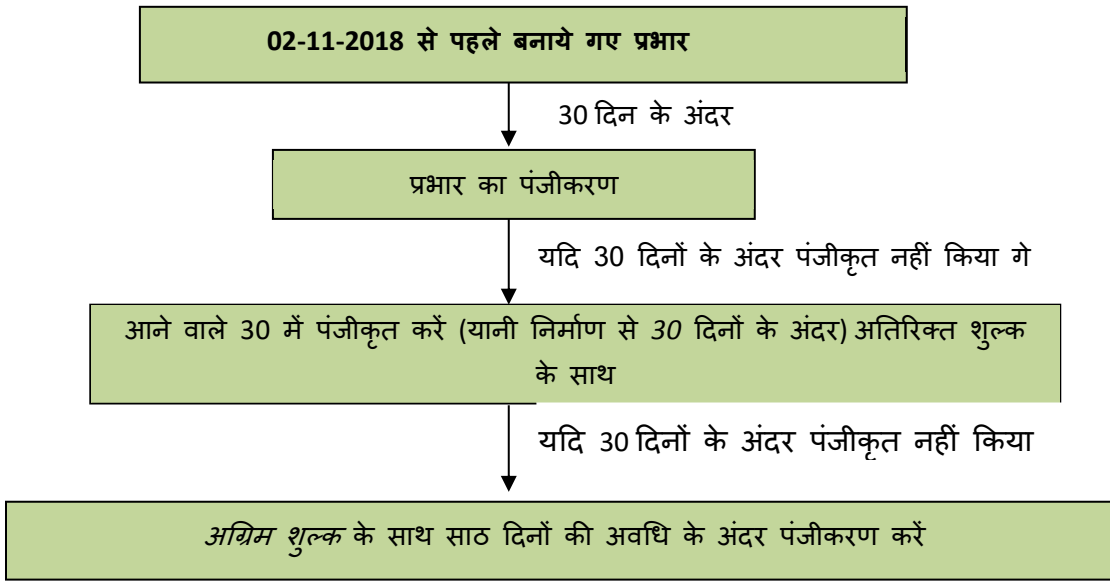

समय सीमा के विस्तार की प्रक्रिया[8]: कंपनी को निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रार को एक आवेदन करना आवश्यक है[9] कंपनी के सचिव या निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए कि इस तरह की देर से फाइलिंग कंपनी के किसी भी अन्य हस्तक्षेपकरने वाले लेनदारों के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं

इसलिए किए गए आवेदन को रजिस्ट्रार को मुआवजा दें होगा कि कंपनी के पास तीस दिनों की अवधि के अंदर विवरण और शुल्क के साधन को दर्ज न करने के लिए पर्याप्त कारण थे। उसके बाद ही दी गई अवधि के अंदर शुल्क का पंजीकरण किया जाएगा। इसके आलावा, अतिरिक्त शुल्क या *अग्रिम शुल्क,* लागू होने पर भी भुगतान किया जाना चाहिए।

[8] नियम 4 के अनुसार

[9] नियम 4 (2) फॉर्म सीएचजी (CHG) -1 या सीएचजी (CHG) -9 (ऋणपत्र के मामले में) का उपयोग किया जाना है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

E. **पंजीकरण का प्रमाणपत्र का निर्गमन**[10]

पंजीकरण/संशोधन का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाएगा।[11] रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र इस बात का सबूत होगा कि अधिनियम के अध्याय VI की आवश्यकतों और शुल्क के पंजीकरण के लिए बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है।

F. **धारा 77 कुछ शुल्क पर लागू नहीं होती**

भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से निर्धारित धारा 77 में कुछ प्रभारों पर लागू नहीं किया जाएगा।[12]

3. शुल्क के गैर-पंजीकरण का प्रभाव [धारा 77 (3) और (4)]

कंपनी अधिनियम, 2013 दिवालिया और दिवालियापन संहिता कंपनी द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता जाएगा, 2016 या किसी अन्य लेनदार के तहत नियुक्त परिसमापक से ध्यान में रखा जाएगा जब तक कि यह पंजीकृत नहीं किया गया है और रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकरण के आरक्षण के प्रमाण पत्र को पंजीकृत किया जाता है।[13]

इसका अर्थ है कि कंपनी के परिसमापक और अन्य लेनदारों के विपरीत शुल्क शून्य हो जाएगा। अर्थात्, समापन के समय, लेनदार जिसका शुल्क पंजीकृत नहीं किया गया है, एक असुरक्षित लेनदार के स्तर तक कम हो जाएगा। पंजीकृत न होने परिसमापक और न ही कोई अन्य लेनदार एक शुल्क को कानूनी मान्यता दी जाएगी।

लेकिन यह किसी शुल्क द्वारा सुरक्षित धन के पुनर्भुगतान के लिए किसी अनुबंध या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।[14] इसका अर्थ यह है कि ऋण वैध है और कंपनी के खिलाफ

---

[10] धारा 77 (2) और नियम 6 (1) के अनुसार।

[11] पंजीकरण के लिए प्रति नंबर सीएचजी (CHG) 2 और संशोधन के लिए प्रति नंबर सीएचजी (CHG) 3 में।

[12] चौथे प्रावधान के अनुसार धारा 77 (1) कंपनियों द्वारा सम्मिलित (संशोधन) अधिनियम, 2017 - 7 मई 2018 से प्रभावी संशोधन

[13] धारा 77 (3) के अनुसार

[14] धारा 77 (4) के अनुसार

© The Institute of Chartered Accountants of India

मुकदमा दर्ज करके अदालतों के माध्यम से लागू किया जा सकता है, लेकिनज़मानत खो जाती है।

इसके अतरिक्त, इस अध्याय के अंतर्गत यह ध्यान दिया गया है कि किसी भी अपराध के संबंध में किसी कंपनी को अपनी देयता से कम नहीं करनी चाहिए।

गैर-पंजीकरण का एक और महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि शुल्क-धारक प्राथमिकता खो देता है।[15] किसी शुल्क का कोई भी बाद का पंजीकरण (यानी, भले ही यह मूल तीस दिनों के बजाय विस्तारित अवधि के भीतर पंजीकृत हो) वास्तव में पंजीकृत होने से पहले किसी भी संपत्ति के संबंध में अर्जित किसी भी अधिकार का पूर्वाग्रह नहीं करेगा।

उदाहराण 4: मुलुंड में कंपनी की भूमि और भवन की सुरक्षा के एवज में बैंक ए (A) ने आकाश लिमिटेड को एक करोड़ रुपये दिए हैं। शुल्क 1 जून 2019 को अधिकार पत्र जमा करके बनाया गया था। कंपनी ने 30 दिनों के अंदर शुल्क दर्ज नहीं किया। इसके बाद, यथामूल्य शुल्क के भुगतान और पर्याप्त कारण साबित करने के बाद 13 अगस्त 2019 को शुल्क दर्ज किया गया था।

इस बीच, बैंक बी (B) ने 20 जून 2021 को एक ही संपत्ति कीज़मानत के अतिरिक्त के लिए दो करोड़ रूपये का निवेश किया है। 27 जून 2019 में इस शुल्क को पंजीकृत किया गया था।

इसके बाद, आकाश लिमिटेड का परिसमापन हो जाता है और अपनी संपत्ति को दो करोड़ रूपये देखर मुक्त करा लेता है।

अब, बैंक बी अपने ऋण को पूरी तरह से वापस प्राप्त करेगा, लेकिन बैंक ए को कुछ भी एहसास नहीं होगा। क्योंकि बैंक ए के पक्ष में शुल्क के बाद के पंजीकरण से बैंक बी के अधिकार का पूर्वाग्रह नहीं होगा, जो बैंक ए के पक्ष में शुल्क से पहले अपना अधिकार प्राप्त करता था, वास्तव में पंजीकृत था। इस प्रकार, बैंक बी को बैंक ए पर प्राथमिकता मिलती है, भले ही इसका शुल्क बाद में बनाया जा सकता है।

4. शुल्क-धारक द्वारा शुल्क के लिए आवेदन [धारा 78]

पहले की गई चर्चा में देखा गया है कि गैर-पंजीकरण या विलंबित पंजीकरण शुल्क-धारक के ब्याज को गंभीर रूप से प्रस्तावित किया जाता है। इसलिए कानून, शुल्क-धारक को रियायत

[15] धारा 77 (1) के अनुसार तीसरे प्रावधान के अनुसार

© The Institute of Chartered Accountants of India

दी जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 78 में यदि कंपनी अपनी संपत्ति पर शुल्क बनाने में विफल रहती है, तो शुल्क-धारक को पंजीकृत कराने का अधिकार अधिकार दिया जाता है।

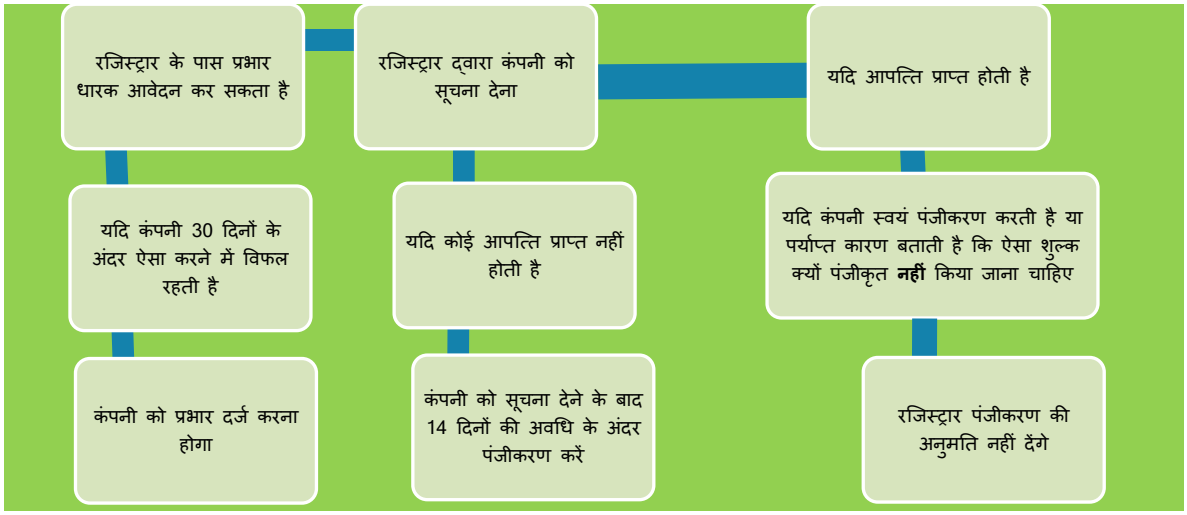

तदनुसार, यदि कोई शुल्क लिया गया है, लेकिन शुल्क दर्ज करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार कंपनी 30 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर ऐसा करने में विफल रहती है [जैसा कि धारा 77 (1) में शुल्क बनाया जाता है (यानी शुल्क-धारक) निर्धारित समय, प्रपत्र और तरीके से शुल्क के दस्तावेज के साथ शुल्क से पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकते हैं।

शुल्क-धारक से प्राप्त आवेदन पत्र पर, रजिस्ट्रार कंपनी को सूचना जारी करेगा और यदि कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे पंजीकरण के लिए कंपनी को सूचना जारी करने के बाद 14 दिन के अंदर बताई गई शुल्क का भुगतान करने के लिए अनुमति देता है।

हालाँकि,रजिस्ट्रार शुल्क-धारक द्वारा इस तरह के पंजीकरण की अनुमति नहीं देगा, अगर कंपनी खुद ही शुल्क का पंजीकरण करती है या उचित कारण बताती है कि इस तरह के शुल्क को पंजीकृत क्यों नहीं किया जाना चहिए।

शुल्क वसूल करना: इस मामले में, यदि पंजीकरण धारक के द्वारा किये गए आवेदन पर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति को कंपनी से किसी भी शुल्क या अतिरिक्त शुल्क की राशि को वसूलने का अधिकारी होगा, जो कि पंजीकरण में प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार को दिया जाता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

5. शुल्क के अधीन संपत्ति के अधिग्रहण की स्वीकृति [धारा 79]

दो स्थितियों पर ध्यान किया जाता है।

a. कंपनी द्वारा किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण जो पहले से ही शुल्क के अधीन है।

b. नियम और शर्तों अथवा संशोधन में किसी भी के शुल्क के विस्तार या संचालन में पहले से ही पंजीकृत है।

धारा 77 में शुल्क के पंजीकरण से संबंधित प्रावधान उपरोक्त दोनों स्थितियों में लागू हो सकते हैं।

A. **शुल्क के अधीन किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण करने वाली कंपनी [धारा 79 (ए)]**

ऐसी संपत्ति के मामले में जहाँ प्राभर पहले से ही पंजीकृत है और यदि शुल्क-धारक की अनुमति से बेच दिया जाता है, तो यह कंपनी का कर्तव्य होगा कि धारा 77 के अनुसार शुल्क पंजीकृत करने के लिए इसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, पहले का शुल्क खाली कर दिया जाना चाहिए और इसके स्थान पर कंपनी द्वारा नया अधिग्रहण पंजीकृत करवा लेना चाहिए।

B. **नियम और शर्तों आदि में परिवर्तन होने पर शुल्क में संशोधन [धारा 79 (b)]**

धारा 79 (b) के अंतर्गत किसी भी संशोधन प्रभारी की आवश्यकता होती है (यानी नियम और शर्तों में परिवर्तन या किसी भी प्रकार के विस्तार में परिवर्तन, आदि) धारा 77 के अनुसार कंपनी द्वारा पंजीकृत होना चाहिए।

'परिवर्तन' में समझौते के किसी भी नियम और शर्तों में भिन्नता शामिल है जिसमें ब्याज की दर में परिवर्तन शामिल है जो कि आपसी समझौते या कानून के संचालन से हो सकता है। किसी भी शुल्क की सीमा या संचालन में बदलाव में भी परिवर्तन किया जाता है। यहां तक कि किसी भी शुल्क-धारक के अधिकारोंरूप में माना जाएगा।

'संधोधन' के अंतर्गत कुछ **अन्य उदाहरण** इस प्रकार हैं:

1. समझौते के माध्यम से मौजूद शुल्क के किसी भी नियम और शर्तों को अलग करके शुल्क को परिवर्तित किया जाता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

2. जहाँ सीमाएं बढ़ाने या घटाने के लिए किसी समझौते के अनुसरण होता हैं;

3. संशोधन *पैरी-पसु*[16] संशोधन एक समसामयिक शुल्क को सौंप कर किया गया है;

4. जहाँ ब्याज दर (बैंक दर के अलावा) में परिवर्तन होता है;

5. जहाँ ऋण की चुकौती अनुसूची में परिवर्तन होता है (काम करने वाले ऋणों के मामले में लागू नहीं जो मांग पर चुकाने योग्य हैं) तथा

6. जहाँ किसी विशेष संपत्ति या परिसंपत्ति पर शुल्क का आंशिक रूप से जारी किया जाता है।

C. संशोधन का प्रमाण पत्र जारी करना

नियम 6 के अनुसार धारा 79 के अंतर्गत शुल्क के परिवर्तन को पंजीकृत किया जाता है, रजिस्ट्रार प्रपत्र सीएचजी (CHG)-3 में शुल्क के परिवर्तन का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र इस बात का निर्णायक सबूत होगा कि अधिनियम के अध्याय VI की आवश्यकताएं और नियमों में परिवर्तन किया गया है ताकि शुल्क के पंजीकरण को अनुपालन किया जा सकता है।

6. कंपनी द्वारा शुल्क की संतुष्टि से संबंधित रिपोर्ट [धारा 82]

1. शुल्क की संतुष्टि के बारे में सूचना

2013 के अधिनियम की धारा 82 में कंपनी को निर्धारित प्रपत्र में रजिस्ट्रार को पहले से पंजीकृत किसी भी शुल्क से पूर्ण भुगतान या संतुष्टि[17] की सूचना देने की आवश्यकता

---

[16] *एक पैरी पसु चार्ज-धारक गिरवी रखी गई संपत्ति में एक आनुपातिक हिस्सेदारी का हकदार है। जब यह आरोप लगाया गया कि प्रभार-धारक दूसरा प्रभार-धारक बन जाएगा और इस तरह उसका पहला प्रभार-धारक के दावे की पूर्ण संतुष्टि के अधीन होगा।*

[17] *(1) एक निर्दिष्ट आईएफएससी सार्वजनिक कंपनी के मामले में, रजिस्ट्रार, कंपनी द्वारा एक आवेदन पर, इस तरह के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर इस तरह के पंजीकरण के तीन सौ दिनों की अवधि के अंदर इस तरह के पंजीकरण की अनुमति गि जा सकती है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। (अधिसूचना संख्या जीएसआर 8 (ई), तिथि 04-01-2017)*

(2) एक निर्दिष्ट आईएफएससी निजी कंपनी के मामले में, रजिस्ट्रार, कंपनी द्वारा एक आवेदन पर, इस तरह के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर इस तरह के पंजीकरण के तीन सौ दिनों की अवधि के भीतर इस तरह के पंजीकरण

© The Institute of Chartered Accountants of India

है।[18] इस तरह के भुगतान या संतुष्टि की तारीख 30 दिनों की अवधि के अंदर सूचना देने की आवश्यकता होती है।[19]

सूचना की विस्तारित अवधि: धारा 82(1)[20] के प्रावधान के नियम में सूचना की अवधि तीस दिन से तीन सौ दिन तक की हो सकती है। तदनुसार, रजिस्ट्रार कंपनी या शुल्क-धारक द्वारा एक आवेदन पर, इस तरह के भुगतान के लिए भुगतान या संतुष्टि के **तीन सौ दिनों** के भीतर भुगतान करने या निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर संतुष्टि की अनुमति दे सकता है।[21]

2. **<u>शुल्क-धारक को रजिस्ट्रार द्वारा सूचना</u>**[22]

कंपनी से सूचना प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार शुल्क के धारक को इस संबंध में एक सूचना जारी करने की व्यवस्था करेगा, सूचना प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार शुल्क-धारक को सूचना भेजकर निर्दिष्ट समय के अंदर कारण बताने के लिए कहा जाएगा, लेकिन 14 दिनों से अधिक नहीं, कि भुगतान या पूर्ण संतुष्टि क्यों नहीं होनी चाहिए दर्ज किया जाए।

यदि शुल्क-धारक द्वारा कोई कारण नहीं दिखाया गया, तो रजिस्ट्रार के आदेश द्वारा अनुरक्षित शुल्क में पार्षद संतुष्टि का पंजीकरण किया लिया जाए और पूर्ण होने के बाद की सूचित किया जाएगा।[23]

हालाँकि, यदि रजिस्ट्रार को इस संबंध में सूचना निर्धारित प्रपत्र भेज दिया जाता है जिस पर कंपनी के साथ प्रभाधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं तब रजिस्ट्रार द्वारा कोई सूचना प्रभाधिकारी को नहीं भेजी जाती।

की अनुमति दे सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। (अधिसूचना संख्या जीएसआर 9 (ई), तिथि 04-01-2017)

[18] कंपनी (शुल्कों का पंजीकरण), संशोधन नियम, 2018 (डब्ल्यू.ई.एफ. (w.e.f.) 05-07-2018 से प्रभावी) के अंतर्गत नियम 8 (1) को 30 दिनों के बजाय तीन सौ दिनों के भीतर सूचना देने के लिए प्रतिस्थापित किया गया है।

[19] धारा 82 (2) के अनुसार।

[20]नियम 8 के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए फॉर्म CHCG-4 भरना आवश्यक है।

[21] नियम 9 के अनुसार, नियुक्ति या समाप्ति की सूचना रजिस्ट्रार के पास प्रपत्र नंबर सीएचजी (CHG)-6 में दर्ज की जाएगी।

[22] धारा 86 के उप-धारा (2) में कंपनियों (संशोधन) के दूसरे अध्यादेश, 2019 डब्ल्यू.ई.एफ. (w.e.f.) 2018/02/11

[23] 02-11-2018. जैसा कि कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था डब्ल्यू.ई.एफ. (w.e.f.)02-11-2018

© The Institute of Chartered Accountants of India

यदि शुल्क-धारक द्वारा कोई कारण दिया जाता है, रजिस्ट्रार उसको प्रभारी रजिस्ट्रार में लिख कर कंपनी को इस संबंध में सूचित करता है।

3. **<u>प्रमाण पत्र का निर्गमन</u>**

नियम 8(2) के अनुसार, यदि रजिस्ट्रार पूरी तरह से शुल्क की संतुष्टि के सीमानियम में प्रवेश करता है, तो वह फॉर्म संख्या CHG-5 में शुल्क द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

4. **<u>परिरक्षण को रिकॉर्ड करना</u>**

चार्ज या उस पर परिवर्तन करने वाले उपकरण को कंपनी द्वारा चार्ज की संतुष्टि की तारीख से आठ साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा। कंपनी द्वारा शुल्क की संतुष्टि की तारीख से आठ साल की अवधि के लिए एक शुल्क या संशोधन बनाने वाले उपकरण को संरक्षित किया जाएगा।

7. कंपनी द्वारा सूचना न प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार द्वारा प्रविष्टि करने की शक्ति [धारा 83]

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 83 के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रभारों की संतुष्टि और मुक्त प्रविष्ट करने का अधिकार होता है भले ही इस संबंध में रजिस्ट्रार को कंपनी से कोई सूचना प्राप्त न की गई हो।

यह स्थिति तब उत्पन्न होगी जब किसी शुल्क के अधीन संपत्ति किसी तीसरे पक्ष को बेची जाती है और न तो कंपनी और न ही शुल्क-धारक ने रजिस्ट्रार को पहले के शुल्क की संतुष्टि के बारे में सूचित किया है।

तदनुसार, किसी भी पंजीकृत शुल्क के संबंध में यदि साक्ष्य रजिस्ट्रार की संतुष्टि के लिए दिखाया गया है कि शुल्क द्वारा सुरक्षित ऋण का भुगतान किया गया है पूरी अथवा आंशिक रूप से संतुष्ट है जो संपत्ति या उपक्रम की हिस्सा शुल्क द्वारा जारी किया गया है, कंपनी की संपत्ति का जब्त या उपक्रम शुरू किया जाता है तो वह संतुष्टि से सीमानियम के शुल्क द्वारा पंजीकरण को दर्ज कर सकता है:

- उस ऋण का जिसकी पूर्ण अथवा आंशिक रूप से संतुष्टि की गई है; या

© The Institute of Chartered Accountants of India

- उपक्रम संपत्ति जो शुल्क के अधीन है उनका कोई भाग शुल्क मुक्त कर लिया जाता है अथवा ऐसे संपत्ति या उपक्रम के स्वामित्व में नहीं रहती है।

इस अधिकार का प्रयोग रजिस्ट्रार द्वारा इस तथ्य के बावजूद किया जा सकता है कि उसे कंपनी की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई है।

धारा 82 (4) के अनुसार, धारा 82 को रजिस्ट्रार के अधिकारों को प्रभावित करने के लिए नहीं दिया गया, अर्थात कंपनी द्वारा सूचना प्राप्त होने के आलावा धारा 83 में कंपनी से एक सूचना प्राप्त होने पर भी, भले ही कंपनी से उसके द्वारा कोई जानकारी प्राप्त न की गई हो।

प्रभावित पक्षों को सूचना: रजिस्ट्रार प्रभारों के रजिस्टर में प्रविष्टि करने के 30 दिनों के भीतर प्रभावित पक्षों को सूचित करेगा।

प्रमाण पत्र का निर्गमन: नियम 8 (2) के अनुसार, यदि रजिस्ट्रार पूर्ण रूप से शुल्क की संतुष्टि के सीमानियम में प्रवेश करता है, तो वह प्रपत्र संख्या CHG-5 में शुल्क की संतुष्टि के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

8. प्राप्तकर्ता या प्रबंधक की नियुक्ति की सूचना [धारा 84]

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 84, कंपनी और रजिस्ट्रार को प्राप्तकर्ता की सूचना देने अथवा नियुक्ति से संबंधित है।

तदनुसार,

- यदि कोई व्यक्ति एक प्राप्तकर्ता को नियुक्त करने के लिए आदेश करता है वे व्यक्ति को संपत्ति जो शुल्क के अधीन है इसके लिए प्रबंध का आदेश मिलता है, या
- यदि को व्यक्ति किसी उपकरण में निहित अधिकारों के अंतर्गत ऐसे प्राप्तकर्ता या व्यक्ति को नियुक्त करता है,

वह कंपनी और रजिस्ट्रार को आदेश अथवा नियुक्ति करने के लिए 30 दिनों तक आदेश या उपकरण की एक प्रतिलिपि के साथ नियुक्ति के लिए सूचना दी जाएगी।

बदले में, रजिस्ट्रार, तय के भुगतान पर प्राप्तकर्ता के विवरण, व्यक्ति और उपकरणों को शुल्क दस्तावेज में पंजीकृत किया जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

ऐसे नियुक्ति को रोकने पर[24],व्यक्ति जो उपयुक्त तरीके से नियुक्त किया गया है, कंपनी व रजिस्ट्रार को उस प्रभाव के लिए सूचना दी जाएगी। इसके बदले, रजिस्ट्रार ऐसे सूचना को पंजीकृत किया जाएगा।

9. उल्लंघन करने पर दंड [धारा 86]

(i) 2013 के अधिनियम की धारा 86(1) के अनुसार, ***यदि कोई कंपनी इस अध्याय के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में चूक करती है, तो कंपनी पाँच लाख रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक करने पर पचास हजार रुपये के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।***

(ii) (2) उप-धारा (2), उप-धारा (2)[25], 'धोखाधड़ी के लिए सजा' से संबंधित धारा 447 में कुछ निश्चित मामलों में लागू होती है। तदनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छानुसार ऐसा करता है:

- कोई झूठ या ग़लत जानकारी; या
- जानबूझकर किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाता है।

धारा 77 के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है, वह धारा 447 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

10. केंद्र सरकार द्वारा शुल्क पंजीकरण में संशोधन [धारा 87]

शुल्कों के पंजीकरण में संशोधन

2013 के नियम की धारा 87[26] और नियम 12 2013 के केंद्र सरकार को निम्नलिखित चूक के मामलों में शुल्क पंजीकरण के सुधार के लिए रणनीति प्रदान करता है:

(i) निर्दिष्ट समय में शुल्क के संतुष्टीकरण और भुगतान के संबंध में रजिस्ट्रार को सूचना देने में चूक हुई हो;

---

[24] जैसा कि कंपनी (शुल्कों का पंजीकरण) संशोधन नियम, 2019 डब्ल्यू.ई.एफ. (w.e.f.) द्वारा 1.4.2019 से प्रतिस्थापित किया गया है। 30-04-2019

[25] धारा 86 की उप-धारा (2) कंपनी (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2019 से प्रभावी रूप से प्रभावी है। 02-11-2018।

[26] जैसा कि कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था w.e.f.02-11-2018।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) जब किसी रजिस्ट्रार को दिए गए किसी भी पूर्व विवरण में कोई चूक या गलत विवरण हो, किसी शुल्क या बदले गए शुल्क में अथवा संतुष्टीकरण अभिलेख द्वारा धारा 82 *(कंपनी द्वारा शुल्क संतुष्टीकरण को दर्ज करना)* या धरा 83 *(रजिस्ट्रार के संतुष्टीकरण या प्रविष्टियां यांकरने का अधिकार)* के अंतर्गत अन्य प्रविष्टि से संबंधित हो सकते हैं।

यह निर्देश देने से पहले कि 'भुगतान या संतुष्टि की सूचना देने का समय बढ़ाया' 'झूठे या गलत बयान को ठीक किया जाएगा, केंद्र सरकार को इस बात से संतुष्ट होने की जरूरत है कि ऐसी चूक आकस्मिक या अनजाने में या किसी वजह से कुछ अन्य पर्याप्त कारण से लेनदारों और अंशधारकों की स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

प्रपत्र सीएचजी-8 में आवेदन कंपनी या किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा दर्ज किया जा सकता है।

केंद्र सरकार द्वारा सुधार का आदेश ऐसे नियमों और शर्तों पर किया जाएगा क्योंकि यह उचित और समीचीन है।

"*कंपनी (शुल्कों का पंजीकरण) नियम*, 2014 *के* नियम 12 के अनुसार:

केंद्र सरकार की धारा 87 के अनुसार प्रपत्र संख्या सीएचजी-8 में दाखिल आवेदन पर-

(a) दर्ज की गई कोई भी चूक या गड़बड़ी के प्रत्यक्ष सुधार में पहले से जी रजिस्ट्रार के पास किसी भी आरोप या संशोधन के संबंध में, या किसी भी सीमानियम से संबंधित अन्य प्रविष्ट धारा 82 या धारा 83 के अनुपालन में किये गए हैं।

(b) शुल्क की संतुष्टि के लिए समय का सीधा विस्तार, यदि ऐसा भुगतान या संतुष्टि की तारीख से तीन सौ दिनों की अवधि के अंदर दर्ज नहीं की जाती है।"

सारांश

- "शुल्क" का अर्थ किसी कंपनी या उसके उपक्रमों की संपत्ति या परिसंपत्ति कीज़मानत के रूप में ब्याज या धारणाधिकरण के बंधक भी शामिल है।
- किसी कंपनी द्वारा बनाए गई शुल्क बनाने के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराना आवश्यक होता है।
- **02-11-2018 से पहले** शुल्क बनाया गया था, लेकिन 30 दिनों के भीतर पंजीकृत नहीं किया गया तो रजिस्ट्रार, कंपनी के एक आवेदन पर, ऐसे सृजन के 300 दिनों के अंदर शुल्क के पंजीकरण की अनुमति देता है। यदि विस्तारित अवधि के भीतर पंजीकरण नहीं किया

© The Institute of Chartered Accountants of India

जाता है, तो छह महीने के अंदर निर्धारित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाएगा। विभिन्न वर्गों वाली कंपनियों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किये जा सकते हैं।

- यदि कोई शुल्क **02-11-2018 को या उसके बाद** बनाया गया था, लेकिन 30 दिनों के अंदर पंजीकृत नहीं किया गया, तो रजिस्ट्रार, कंपनी के एक आवेदन पर, निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर **60 दिनों** के अंदर शुल्क के पंजीकरण की अनुमति दे सकता है। यदि विस्तारित अवधि के अंदर पंजीकरण नहीं किया जाता, तो रजिस्ट्रार, एक आवेदन पर, ऐसे पंजीकरण को निर्धारित अग्रिम शुल्क के भुगतान के बाद **साठ दिनों** की अवधि के अंदर करने की अनुमति दे सकता है।
- यदि कोई कंपनी शुल्क के पंजीकरण में विफल रहती है तो वह शुल्क-धारक के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है और कंपनी से उसके द्वारा कोई भुगतान की गई किसी भी शुल्क या अतिरिक्त शुल्क की राशि भी वसूल कर सकता है।
- नियम और शर्तों में संशोधन, आदि के लिए भी नए सिरे से पंजीकरण की आवश्यकता होती है, शुल्क में संशोधन के विवरण दर्ज करने पर, रजिस्ट्रार द्वारा शुल्क के संशोधन का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति प्राप्त करने के लिए शुल्क के अधीन है, को ऐसे पंजीकरण की तारीख से शुल्क की सूचना मानी जाएगी।
- कंपनी ऐसे भुगतान या संतुष्टि की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर किसी भी शुल्क द्वारा रजिस्ट्रार को सूचना दी जाएगी। यदि 30 दिनों के अंदर कोई सूचना नहीं दी जाती है, तो रजिस्ट्रार इस तरह के भुगतान के लिए 300 दिनों के अंदर निर्धारित अतिरिक्त भुगतान देने की अनुमति दे सकता है।
- सूचना प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार द्वारा शुल्क के लिए धारक को सूचना जारी की जाएगी और उसे अधिक से अधिक 14 दिनों के अंदर कारण बताने के लिए कहा जाएगा कि क्यों भुगतान या संतुष्टि को पूर्ण रूप से दर्ज नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि रजिस्ट्रार को सूचित किया गया था। यदि कोई कारण नहीं दिखाया गया, तो रजिस्ट्रार संतुष्टि सीमानियम की रिकॉर्डिंग का आदेश देगा।
- कोई कंपनी शुल्क के पंजीकरण से संबंधित किसी प्रावधान को संशोधित करता है, तो वह शुल्क के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- इस मामले में, कंपनी रजिस्ट्रार को शुल्क की संतुष्टि की सूचना भेजने में विफल रहती है, रजिस्ट्रार उसी के बारे में अपनी संतुष्टि के लिए साक्ष्य प्राप्त करने पर संतुष्टि के सीमानियम के पंजीकरण में प्रवेश कर सकता है।
- जहाँ रजिस्ट्रार पूर्ण रूप से शुल्क की संतुष्टि के एक सीमानियम में प्रवेश करता है, वह शुल्क की संतुष्टि के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा।
- यदि कोई कंपनी पंजीकरण या संशोधन की संतुष्टि से संबंधित किसी प्रावधान का उल्लंघन करती है, तो कंपनी और प्रत्येक चूककर्ता अधिकारी दंडनीय है।
- चूक के कुछ मामलों में केंद्र सरकार को प्रभारों के पंजीकरण में सुधार का आदेश देने का अधिकार होता है।

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

प्रश्न 1

शुल्क के सृजन और रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज की एक प्रति को कैसे सत्यापित किया जाएगा?

उत्तर

प्रत्येक प्रलेख की प्रति जो शुल्क बनाने या परिवर्तन में सबूत के तौर पर रखी जाएगी और रजिस्ट्रार के पास दर्ज करने के लिए निम्न रूप से सत्यापित होगी:

(a) **यदि संपत्ति भारत के बाहर स्थित है:** जहाँ लिखत या विलेख पूरी तरह से भारत के बाहर स्थित संपत्ति से संबंधित है, प्रतिलिपि को कंपनी की मुहर, यदि कोई हो, या किसी निदेशक के हाथ में जारी प्रमाण पत्र द्वारा सत्यापित किया जाएगा या कंपनी के कंपनी सचिव या प्रभारी धारक के अधिकृत अधिकारी या कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में जो बंधक या शुल्क में दिलचस्पी रखता है;

(b) **यदि संपत्ति भारत में स्थित है (चाहे पूर्ण या आंशिक रूप से):** जहाँ लिखत या दस्तावेज (चाहे पूर्ण या आंशिक रूप से) भारत में स्थित संपत्ति से संबंधित है, निदेशक द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र के अंतर्गत या कंपनी के सचिव अथवा प्रभार्कर्ता के अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

प्रश्न 2

कंपनी (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2019 *द्वारा लागू किए गए प्रावधानों को संक्षेप में स्पष्ट करें जब* 02-11-2018 *से पहले सृजित शुल्क तीस दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकृत नहीं होता है जैसा कि धारा* 77 (1) *में प्रदान किया गया है।*

उत्तर

कंपनी अधिनियम की धारा 77 (1), 2013 के अनुसार प्रत्येक कंपनी द्वारा एक शुल्क सृजित किया जाता है:

a. भारत के अंदर या उसके बाहर,

b. संपत्ति, परिसंपत्ति अथवा किसी उपक्रम पर,

c. मूर्त या अन्यथा, और

d. भारत में या उसके बाहर स्थित,

इसके सृजन के तीस दिनों के अंदर रजिस्ट्रार के पास शुल्क के विवरण को पंजीकृत करना आवश्यक है।

यदि 02-11-2018 से पहले सृजित किया गया था और इसको बनाने के तीस की निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकृत नहीं किया गया, तो धारा 77 (1) के पहले प्रावधान के खंड (ए) में लिखा गया है कि रजिस्ट्रार, द्वारा आवेदन पर कंपनी, इस तरह के निर्माण के **300 दिनों** की अवधि के भीतर इस तरह के पंजीकरण की अनुमति दे सकता है।

धारा 77 (1) के दूसरे प्रावधान के खंड (a) के अनुसार, यदि पंजीकरण 300 दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो यह निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर 02-11-2018 से छह महीने के भीतर किया जाएगा। विभिन्न वर्गों की कंपनियों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए जा सकते हैं।

टिप्पणी: कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश 2019, *डब्ल्यू.ई.एफ (*w.e.f.*)* 02-11-2018 *से लागू हो गया है।*

प्रश्न 3

शब्द "शुल्क" को परिभाषित करें और यह भी बताएँ कि कंपनी अधिनियम, 2013 *के प्रावधानों के अनुसार शुल्क के पंजीकरण के संबंध में चूक के लिए क्या सजा है।*

© The Institute of Chartered Accountants of India

उत्तर

शुल्क को कंपनी अधिनियम धारा 2 (16), 2013 में परिभाषित किया गया है, क्योंकि अधिकार किसी कंपनी या उपक्रमों को संपत्ति या परिसंपत्तियों कीज़मानत के रूप में एक ब्याज या ग्रहणाधिकार में शामिल किया गया है।

उल्लंघन के लिए सजा - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 86 के अनुसार, यदि कोई कंपनी इस अध्याय के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में चूक करती है, तो कंपनी पाँच लाख रुपये के दंड के लिए उत्तरदायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो चूक करता है वह पचास हजार रुपये के दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई झूठी या गलत जानकारी प्रस्तुत करता है या जानबूझकर किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाता है जिसे धारा 77 के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है, तो वह धारा 447 (धोखाधड़ी के लिए दंड) के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

प्रश्न 4

2 मई, 2019 को रेणुका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड ने महसूस किया कि बैंक के पक्ष में 12 *मार्च,* 2019 *को बनाए गए शुल्क का विवरण कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत नहीं थे। कंपनी को पंजीकरण कराने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? कंपनी को* 2 *मई,* 2019 *के बजाय* 7 *जून,* 2019 *को शुल्क दर्ज नहीं करने की अपनी गलती का एहसास होता है, तो क्या प्रक्रिया अलग होगी? कंपनी अधिनियम,* 2013 *के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में स्पष्ट करें।*

उत्तर

मौजूदा मामले में शुल्क 02-11-2018 (यानी कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 के प्रारंभ होने की तिथि) के बाद बनाया गया था, जिसमें प्रावधानों का एक और नियम लागू किया गया था। 02-11-2018 से पहले इन प्रावधानों को बनाया गया था।

प्रारंभ में, उपकरण के साथ शुल्क के निर्धारित विवरण यदि कोई हो, जिसके द्वारा शुल्क बनाया गया या हटा दिया जाता है, प्रमाण पत्र द्वारा विधिवत स्थापित किया जाता है, तो इसको बनाने के 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार के पास दर्ज किया जाना आवश्यक है। [धारा 77 (1)] इस मामले में 30 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर शुल्क के विवरण दर्ज नहीं किए गए थे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

हालाँकि, रजिस्ट्रार को निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर30 दिनों(यानी बनाने की तारीख से साठ दिन) 30 दिनों की अवधि की विस्तार करने के लिए धारा 77 (1) के पहले प्रावधान के खंड (b) के अंतर्गत अधिकार दिया जाता है। इस प्रावधान का लाभ उठाते हुए, रेणुका सोप्स एंड डिटरजेंट्स लिमिटेड को आवेदन करने के माध्यम से संतुष्ट करने के बाद कि इसके निर्माण के 30 दिनों के अंदर शुल्क का विवरण दर्ज नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण हैं, उसे संतुष्ट करने के बाद तुरंत शुल्क का विवरण दर्ज करना चाहिए।

यदि कंपनी को 2 मई, 2019 के बजाय 7 जून, 2019 को शुल्क दर्ज नहीं करने की अपनी गलती का एहसास होता है, तो यह ध्यान दिया जाएगा कि शुल्क बनाने की तिथि से साठ दिनों की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। हालाँकि, धारा 77 (1) के दूसरे प्रावधान का खंड (b) साठ दिनों की और अवधि देकर शुल्क के पंजीकरण के लिए एक और अवसर प्रदान करता है, लेकिन कंपनी को यथामूल्य शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। चूँकि, शुल्क के सृजन के पहले साठ दिन 11 मई, 2019 को समाप्त हो गए थी, रेणुका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स लिमिटेड अभी भी निर्धारित *यथामूल्य शुल्क* का भुगतान करने के बाद 11 मई, 2019 से साठ दिनों की एक और अवधि के अंदर पंजीकरण करवा सकती है। कंपनी को शुल्क के गैर-पंजीकरण के लिए पर्याप्त कारण बताते हुए इस संबंध में रजिस्ट्रार को एक आवेदन करना आवश्यक है।

प्रश्न 5

*कंपनी के साथ समझौते में प्रवेश के बाद, एनआरटी (*NRT) *लिमिटेड से संबंधित दिल्ली में भी अंतरिक्ष से एक वाणिज्यिक संपत्ति खरीदी। पंजीकरण के समय, श्री अंतरिक्ष को पता चलता है कि कंपनी का टाइटल डीड मुफ्त नहीं है और कंपनी अपने नाम पर शीर्षक क्रम हस्तांतरित कराने में असमर्थता व्यक्त करती है और तर्क देती है कि उसे संपत्ति पर बनाए गए शुल्क का ज्ञान होना चाहिए। बताएँ, क्या एनआरटी लिमिटेड का तर्क सही है?*

उत्तर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 80 के अनुसार, जहाँ किसी कंपनी या उसके किसी उपक्रम की किसी संपत्ति या परिसंपत्ति पर कोई शुल्क कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 77 के तहत पंजीकृत है, ऐसे संपत्ति, परिसंपत्ति उपक्रम या भाग प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधी किसी भी भाग या ब्याज पर इस तरह के पंजीकरण की तिथि से **शुल्क को सूचित** करना होता है।

इस प्रकार, धारा 80 स्पष्ट करती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति, परिसंपत्ति या उपक्रम का अधिग्रहण करता है जिसके संबंध में एक आरोप पहले से ही पंजीकृत है, तो यह माना

© The Institute of Chartered Accountants of India

जाएगा कि उसे इसके पंजीकरण की तिथि से शुल्क का पूरा ज्ञान है। इसलिए, श्री एंट्रिख को संपत्ति खरीदते समय सावधान रहना चाहिए था और पहले से सत्यापित होना चाहिए था कि एनआरटी (NRT) लिमिटेड ने पहले ही संपत्ति पर शुल्क लगाया था।

प्रश्न 6

ओके बैंक द्वारा एबीसी लिमिटेड के पक्ष में एक शुल्क बनाया। आरोप विधिवत दर्ज किया गया था। बाद में, बैंक ने इस सुविधा को और 20 *करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया। असावधानी के कारण मूल शुल्क में यह संशोधन दर्ज नहीं किया गया था। इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में कंपनी को सलाह दें।*

उत्तर-:

कंपनी अधिनियम की धारा 87 के अंतर्गत कंपनी को सलाह दी जाती है कि केंद्र सरकार की प्रति संख्या सीएचजी (CHG)- 8 द्वारा शुल्क से पंजीकरण में सुधार के लिए आवेदन दर्ज कर सकते हैं।

अधिनियम की धारा 87, 2013 के नियम 12 केंद्र सरकार को निम्नलिखित चूक के मामलों में शुल्क रजिस्टर के सुधार का आदेश देने का अधिकार देता है:

(i) जब निर्दिष्ट समय के अंदर भुगतान या शुल्क की संतुष्टि के संबंध में रजिस्ट्रार को सूचना देने में चूक हुई हो;

(ii) जब रजिस्ट्रार को पहले से दर्ज किये गए किसी विवरण की चूक या गलत विवरण था। किसी भी शुल्क या किसी भी संशोधन से संबंधित हो सकती है या धारा 82 के अंतर्गत संतुष्टि या अन्य प्रविष्ट के संदर्भ में *(शुल्क की संतुष्टि की रिपोर्ट करने के लिए कंपनी)* या धारा 83 *(संतुष्टि की प्रविष्टि बनाने और जारी करने के लिए रजिस्ट्रार के अधिकार)* किसी भी सीमानियम या अन्य प्रविष्टि के संबंध में हो सकती है।

यह निर्देश देने से पहले कि 'भुगतान या संतुष्टि की सूचना देने का समय बढ़ाया जाएगा' या 'चूक या गलत बयान को सुधारा जाएगा', केंद्र सरकार को संतुष्ट होने की जरूरत है कि इस तरह की चूक आकस्मिक या अनजाने में या किसी वजह से कुछ अन्य पर्याप्त कारण से लेनदारों या अंशधारकों की स्थिति का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जाता है।

प्रति सीएचजी (CHG)-8 में आवेदन कंपनी या किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा दर्ज किया जाएगा। अतः धारा 87 के अंतर्गत ओके बैंक भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

केंद्र सरकार द्वारा सुधार का आदेश नियमों और शर्तों पर किया जाएगा क्योंकि उचित और समीचीन हैं।

प्रश्न 7

रंजीत ने एबीसी लिमिटेड से एक संपत्ति का अधिग्रहण किया जिसे ओके बैंक के पास गिरवी रखा गया था। उन्होंने ओके बैंक को पूरी तरह से बकाया राशि देकर और इसे सब-रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत किया गया, जिन्होंने नोट किया कि बंधक का निपटान किया गया है। लेकिन न तो कंपनी और न ही ओके बैंक ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास शुल्क की संतुष्टि का विवरण दर्ज किया है। क्या श्री रंजीत रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं और इस संबंध में कोई राहत की मांग सकते हैं? कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के आलोक में इस मामले पर चर्चा करें।

उत्तर

2013 के अधिनियम की धारा 83 रजिस्ट्रार को यह अधिकार दिया गया है कि कंपनी की ओर से उसके द्वारा कोई सूचना प्राप्त नहीं होने पर संतुष्टि और आरोपों को जाती करने के सबंध में प्रविष्ट किया जाएगा। तदनुसार, किसी भी पंजीकृत शुल्क के संबंध में कोई साक्ष्य रजिस्ट्रार संतुष्टि के लिए दिखाया गया है शुल्क द्वारा ऋण का भुगतान किया गया है पूरी या आंशिक रूप संपत्ति या उपक्रम का हिस्सा शुल्क जारी किया गया है कंपनी या उपक्रम का हिस्सा बन कर दिया जाता है, तब वह शुल्क से रजिस्ट्रार द्वारा सीमानियम दर्ज कर सकता है:

- ऋण पूरी तरह से या आंशिक रूप से संतुष्ट किया गया है; या
- संपत्ति का हिस्सा या उपक्रम शुल्क से मुक्त कर दिया जाता है या कंपनी की संपत्ति या उपक्रम का हिस्सा बनना बंद हो जाता है।

इस अधिकार का प्रयोग करके रजिस्ट्रार द्वारा इस तथ्य के बावजूद कर सकता है कि उसे कंपनी से कोई सूचना प्राप्त नहीं मिलती है।

प्रभावित पक्षों को जानकारी: रजिस्ट्रार प्रभाविर पक्षों के शुल्क के रजिस्ट्रार के प्रविष्ट करने के 30 दिनों के अंदर सूचित किया जाता है।

प्रमाण पत्र का निर्गमन: नियम 8 (2) के अनुसार, यदि रजिस्ट्रार पूर्ण रूप से शुल्क की संतुष्टि के ज्ञापन में प्रवेश करता है, तो वह प्रति संख्या सीएचजी (CHG)-5 में शुल्क की संतुष्टि के पंजीकरण का प्रमाण पत्र का निर्गमन किया जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इसलिए, रंजीत रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकता है और अपनी संतुष्टि के लिए सबूत दिखा सकता है कि आरोप का विधिवत निपटारा और संतुष्ट हो गया है और रजिस्ट्रार से अनुरोध है कि वह शुल्क जारी करने पर संतुष्टि के बारे में एक ज्ञापन दर्ज कर सकते हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India